



संख्या : 4196 / जी०एस०(शिक्षा) / A3-48 / 2018

प्रेषक,

लक्ष्मण राम आर्य,
कुलाधिपति के उपसचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240928111605, दिनांक 16.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें चाणक्य लॉ कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को बी०ए०-एलएल०बी०, बी०बी०ए०-एल०एल०बी०, एल०एल०बी० एवं एल०एल०एम० पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	चाणक्य लॉ कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।	बी०ए०-एल०एल०बी०	60 सीट	2025-26
		बी०बी०ए०-एल०एल०बी०	60 सीट	
		एल०एल०बी०	180 सीट	
		एल०एल०एम०	50 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- प्रश्नगत प्रस्ताव पर निर्णय मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका 1429/2025, दिनांक 20.05.2025 में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संस्थान को प्रदान की गई अंतरिम राहत के क्रम में लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि संस्थान से प्राप्ति राशि हेतु निर्धारित मानकों/प्रक्रियाओं का

अनुपालन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, ताकि असामान्य परिस्थितियों में संस्थान को बिना किसी सहायता एवं बाहरी स्रोत के संचालित कराते हुए अध्ययनरत् छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।

- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya भवदीय,
Date: 17-12-2025
11:38:17

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।

संख्या : 4196 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A3-48/2018 तददिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

- ह० -

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।